2017 का विधेयक संख्यांक 281

[दि नेगोसिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

नई धारा 143क का अंत:स्थापन ।

1881 का 26

2. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 143 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अंतरिम प्रतिकर का निदेश देने की शक्ति ।

1974 का 2

"143क. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय चेक के लेखीवाल को-

(क) संक्षिप्त विचारण या समन मामले में, जहां परिवाद में उसने किए गए अभियोग का दोषी नहीं होने का अभिवाक किया हो ; और

(ख) अन्य किसी मामले में, आरोप विरचित किए जाने पर,

परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अंतरिम प्रतिकर चेक की रकम के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(3) अंतरिम प्रतिकर का, उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या चेक के लेखीवाल द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, संदाय किया जाएगा ।

(4) यदि चेक के लेखीवाल को दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय परिवादी को प्रतिकर की अंतरिम रकम लेखीवाल को, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित बैंक दर से ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने का निदेश देगा ।

(5) इस धारा के अधीन संदेय अंतरिम प्रतिकर इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा, मानो यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 421 के अधीन कोई जुर्माना था । 1974 का 2

(6) धारा 138 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की रकम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम में से इस धारा के अधीन अंतरिम प्रतिकर के रूप में संदत्त या वसूल की गई रकम घटा दी जाएगी ।"। 1974 का 2

नई धारा 148 का अंत:स्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 147 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील के लंबित रहते संदाय का आदेश करने की अपील न्यायालय की शक्ति ।

"148. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि के विरुद्ध लेखीवाल द्वारा की गई अपील में अपील न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा कराने का आदेश कर सकेगा, जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माना या प्रतिकर के न्यूनतम बीस प्रतिशत होगी : 1974 का 2

परंतु इस धारा के अधीन संदेय रकम, धारा 143क के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदत्त किसी भी अंतरिम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, जमा कराई जाएगी ।

(3) अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम को परिवादी को देने का निदेश दे सकेगा :

परंतु यदि अपीलार्थी दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय परिवादी को, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित

किए जाने पर तीस दिन से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर, जिसका न्यायालय द्वारा निदेश दिया जाए, सुसंगत वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर प्रचलित बैंक दर पर ब्याज सहित इस प्रकार दी गई रकम का अपीलार्थी को प्रतिसंदाय करने का निदेश देगा ।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (अधिनियम) को वचनपत्रों, विनिमय पत्रों और चैकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ चैकों के अनादर के अपराध से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान का उपबंध किया जा सके । तथापि, केंद्रीय सरकार को जनता से, जिसके अंतर्गत व्यापारिक समुदाय भी है, चैक अनादरण मामलों के लंबित रहने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं । इसका कारण, अपीलें फाइल करने और कार्यवाहियों पर रोक आदेश प्राप्त करने में सरलता के कारण अनाद्धृत चैकों के बेइमान लेखीवालों के विलंबकारी दांवपेंच हैं । इसके परिणामस्वरूप किसी अनाद्धृत चैक के ऐसे पाने वाले के साथ अन्याय होता है, जिसे चैक के मूल्य को वसूल करने के लिए न्यायालय की कार्यवाहियों में अत्यधिक समय और साधन गंवाने होते हैं । ऐसे विलंबों से चैक संव्यवहारों की आदरणीयता पर जोखिम होता है ।

2. चैक अनादरण मामलों के अंतिम समाधान में असम्यक् विलंब के मुद्दे को हल करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अनाद्धृत चैकों के पाने वालों को अनुतोष प्रदान किया जा सके तथा तुच्छ और अनावश्यक मुकदमेबाजी को हतोत्साहित किया जा सके, जिससे समय और धन की बचत होगी । प्रस्तावित संशोधनों से चैकों की विश्वसनीयता सुदृढ़ होगी और उधार देने वाली संस्थाओं को, जिसके अंतर्गत बैंक भी हैं, अर्थ व्यवस्था के उत्पादक सेक्टरों को वित्त पोषण करना जारी रखने की अनुज्ञा देकर साधारणतया व्यापार और वाणिज्य में सहायता मिलेगी ।

3. इसलिए, परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है, अर्थात् :--

(i) उक्त अधिनियम में एक नई धारा 143क को यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करना है कि धारा 138 के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, चैक के लेखीवाल को, किसी संक्षिप्त विचारण या किसी समन मामले में, जहां वह परिवाद में लगाए गए अभियोगों का दोषी नहीं होने का अभिवाक् करता है और किसी भी अन्य मामले में आरोप के विरचित किए जाने पर परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकेगा । इस प्रकार संदेय अंतरिम प्रतिकर ऐसी राशि होगी, जो चैक की रकम के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(ii) उक्त अधिनियम में एक नई धारा 148 को यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करना है कि धारा 138 के अधीन लेखीवाल द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय, अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकेगा, जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर के न्यूनतम बीस प्रतिशत होगी ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
दिसंबर, 2017

अरुण जेटली

GMGIPMRND—3263LS(CRC)—28-12-2017.